न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 58/2012 **अन्नाराम वगैरह बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी,** **अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

6-8-2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि स्वर्गीय भीखाराम पुत्र सुराराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 676 रकबा 87 बीघा 04 बिस्वा में रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा आई हुई है जिसकी खतौनी सम्वत् 2011 से 2014 में भीखीया भाट, स्टेशन सालावास के रूप में प्रार्थी के पिता का नाम खातेदारी में दर्ज है, इसके पश्चात खतौनी सम्वत 2014 से 2017, 2023, 2024 व 2027 में भी प्रार्थी के पिता खातेदार दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण की उपरोक्त खसरा नम्बर की खातेदारी भूमि रकबे को सरकारी भूमि के रूप में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज कर दी गई जो त्रुटि राजस्व अभिलेख को संधारण करते समय हुई है जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 676 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा के खतौनी सम्वत 2024 से 2027 में प्रार्थीगण के पिता तथा प्रार्थीगण का नाम खातेदारी में बहाल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक कॉर्ट/2024/726 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2024/ 2271 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सालावास की मिसल बंदोबस्त खतौनी मौजा–सालावास परगना–जोधपुर संवत 1999 में खसरा संख्या 676 रकबा 41.05 बीघा पड़त कदिम राज्य सरकार के नाम दर्ज था तथा जमाबंदी दिनांक 2011–2014 में खसरा नंबर 676 रकबा 20.05 बीघा किस्म बा–1 गै.मु. भिकिया भाट स्टेशन सालावास के नाम दर्ज था जो कि बिना आवंटन/नियमन के नामान्तरकण के राजस्व रैकर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम सालावास की जमाबंदी संवत् 2014–17 में खसरा संख्या 676 रकबा 20.09 बीघा भीको बेटो सुरारो भाट स्टेशन सा. देह के नाम में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2024–2027 में खसरा संख्या 676 सरकारी भूमि के खाते में दर्ज है जो कि आजदिनांक तक सरकारी भूमि के खाते में चल रहा है। जमाबंदी संवत् 2077–2080 के अनुसार खसरा नम्बर 676 रकबा 3.5531 हैक्टयर किस्म बा. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत नही होने से खारिज योग्य है।

पत्रालवी का अवलोकन किया गया है। बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का नाम उक्त खसरे के पूर्व की जमाबंदियों में बिना आवंटन/नियमन के नामान्तरकण से दर्ज किया गया था जो कि सवहन से दर्ज होना प्रतीत होता है साथ ही ही वर्तमान जमाबंदी में भी ग्राम सालावास का खसरा नम्बर 676 रकबा 3.5531 हैक्टयर किस्म बा. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तहसीलदार लूणी द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम की श्रेणी के अन्तर्गत विचारण योग्य नहीं होने के कारण खारिज करने की अनुशंषा की है।

अत : उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का सारहिन होने से न्यायहित में खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी